राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 21/2023
सी०सी०एम०एस० संख्या– 2023/45
दायर दिनांक– 18.05.2023
निर्णय दिनांक 10.09.2025

उनवानी–

1. प्रहलाद सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम उजोली तह० रूपनगढ़ ....प्रार्थी

बनाम

1. रेवत सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र सिंह जाति पुरोहित नि० ग्राम उजोली तह० रूपनगढ़
2. चौथ सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति पुरोहित नि० ग्राम उजोली तह० रूपनगढ़
3. मैना कंवर पुत्री रेवत सिंह जाति पुरोहित नि० ग्राम उजोली तह० रूपनगढ़
4. सूरज कंवर पुत्री रेवत सिंह जाति पुरोहित नि० ग्राम उजोली तह० रूपनगढ़
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
6. उप पंजीयक रूपनगढ़ जिला अजमेर ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि० प्रार्थी

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि एक वाद प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्ताने पुत्र व पुत्रियां है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के भाई बहिन है एवं एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थी के दादा रामचन्द्र सिंह पुत्र गंगाविशन की खातेदारी की आराजी ग्राम उजोली पटवार हल्का उजोली भू०अ०नि० क्षेत्र कोटड़ी खाता संख्या 82 के ख०न० 155/105, 185/157 में प्रार्थी के दादा रामचन्द्र सिंह के नाम 1/2 हि० व खाता संख्या 78 के ख०न० 149/103 एवं खाता संख्या 8 के ख०न० 102 में प्रार्थी के दादा रामचन्द्र सिंह पुत्र गंगाविशन के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/4 सहखातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित भूमि प्रार्थी के दादा रामचन्द्र पुत्र गंगाविशन के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी में दर्ज थी एवं प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के फोत होने के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज होकर उक्त आराजी पैतृक है जो प्रार्थी के दादा से अप्रार्थी संख्या 1 को वर्णित सम्पूर्ण आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। इस कारण हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अपना 1/20 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त आराजी में हित, स्वत्व, निहित होने से खातेदारी उद्घोषणा का वाद श्रीमान के समक्ष अलग से पेश किया गया है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान पुत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आकर प्रार्थी को हैरान, परेशान व प्रताड़ित करता रहता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सन्तान के दायित्वों से विमुक्त एवं अपने सन्तान के प्रति उदार आचरण न अपनाते हुए उक्त पैतृक पुश्तैनी आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलकर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्सा अधिकार की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है इसलिए प्रार्थी द्वारा वर्णित पैतृक आराजी में हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त आराजी में पैतृक होने से जन्म से हक हिस्सा अधिकार निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में भी अपने नाम दर्ज खातेदारी की आराजी का बैचान अन्य को किया जा चुका है तथा शेष आराजीयात को भी अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत करके बैचान करने पर आमादा हो रहा है। प्रार्थना पत्र में अन्य सहखातेदार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से अनुतोष चाहा गया है इस कारण से प्रार्थना पत्र में सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पूर्वज दादा के हक हिस्सा अधिकार एवं कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाद वर्णित एकल खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि में नींव, सींव मेढ, वृक्षों सहित कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि में कभी भी बाधाकारित नहीं करे तथा किसी प्रकार का ब्लात कब्जा, अतिकमण व निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़(अप्रार्थी) की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से मौके की यथास्थिति में परिवर्तन नहीं करने व अन्य कार्यो में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु` अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि आराजी के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाधाकारित करने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो विन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को वादग्रस्त भूमि ग्राम उजोली के खाता संख्या 82 के ख0न0 155/105, 185/157 व खाता संख्या 78 के ख0न0 149/103 एवं खाता संख्या 8 के ख0न0 102 की भूमि के कृषि उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करने रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)